फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री सम्पत सामोता**
विपक्षी :– **राज्य**
किस्म मुकदमा :– 131, 133 एल.आर.एक्ट
पत्रावली संख्या :– **264/25 विविध**
जीसीएमएस नम्बर :– **2025/771**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.12.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 357 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि का सहमति विभाजन दिनांक 24.04.2018 को किया गया था। जिसमें आराजी नम्बर 357 के दोनो खातेदारो की भूमि पृथक पृथक दर्ज करते हुए सहमति विभाजन के नक्शा ट्रेस अनुसार उत्तर की तरफ आराजी नम्बर 357मी. अंकित किया गया एवं दक्षिण तरफ आराजी नम्बर 357/1 अंकित किया गया। जबकि वर्तमान नक्शे में उत्तर की तरफ आराजी नम्बर 357/1 एवं दक्षिण तरफ आराजी नम्बर 357 अंकित कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व कर्मचारियो को सहमति विभाजन नामान्तकरण पारित करते हुए तरमीम सहमति विभाजन में बनाए गए नक्शा ट्रेस अनुसार करनी चाहिए थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर अपने मनमुताबिक तरमीम कर दी गई । जो की न्यायोचित नही है। उक्त गलत की गई तरमीम तहसीलदार मावली द्वारा भी स्वीकार किया गया है एवं प्रकरण सहमति विभाजन अनुसार तरमीम प्रस्तावित करते हुए नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में न्यायालय का यह भी मानना है कि सहमति विभाजन में बनाए गए नक्शा ट्रेस एवं राजस्व नक्शे में भिन्नता नही हो सकती है। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार/सहमति विभाजन के नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **—: आदेश** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.13 17:34:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 357 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि की तरमीम जमाबंदी में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस/सहमति विभाजन में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.13 17:34:07 IST
Reason: SelfAttested